

प्रत्यक्ष कर

केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर :-

1. **आय कर** — यह कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है।
 - कर के दृष्टिकोण से आय दो प्रकार की होती है —
 - सकल आय — 1 वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय। जैसे — वेतन, किराया, ब्याज और लाभांश।
 - करदायी आय — वह आय जिस पर कर का भुगतान किया जाता है।
 - करदायी आय — सकल आय — छूट
 - विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा छूट दी जाती है। जैसे — होम लोन, एजुकेशन लोन, जीवन बीमा, बचत योजना, स्टैंडर्ड डिडक्शन।
 - कृषि आय को इनकम टैक्स से छूट है।
 - जैसे-जैसे आय बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती है। इसलिए इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है।
 - इससे आय की असमानता कम होती है।
 - भारत में आय कर की दो प्रणालियाँ हैं —

पुरानी कर व्यवस्था इसमें छूट का लाभ दिया जाता है।		नई कर व्यवस्था इसमें छूट का लाभ नहीं दिया जाता है, सिवाय मानक छूट के।	
आय	कर की दर	आय	कर की दर
0-2.5 Lakh	Nil	0-4 Lakh	Nil
2.5-5 lakh	5%	4-8 lakh	5%
5-10 lakh	20%	8-12 lakh	10%
> 10 lakh	30%	12-16 lakh	15%
		16-20 lakh	20%
		20-24 lakh	25%
		> 24 lakh	30%
मानक छूट = 50000 रु. 5 लाख रु तक की आय पर सरकार द्वारा कर पर पूर्ण माफी दी जाती है।		मानक छूट = 75000 रु. 12 लाख रु. तक की आय पर सरकार के द्वारा कर पर पूर्ण माफी दी जाती है।	

2. **निगम कर** — यह कर व्यावसायिक संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है।

कर योग्य लाभ = सकल लाभ — छूट

Company	Tax rate
Turn over < 400 Cr	25%
Turn over > 400 Cr.	30%
विदेशी कम्पनी	35%

- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा कर में छूट दी जाती है। परंतु इसके कारण कानूनी विवादों की संख्या बढ़ रही थी। इसलिए सरकार के द्वारा एक विकल्प दिया गया।

- यदि कोई घरेलू कंपनी छूट का लाभ नहीं लेती है तब उस पर कर की दर 22% लगायी जायेगी।
- MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर)**
 - यदि कोई कंपनी छूट का अत्यधिक प्रयोग करती है तथा अपने कर योग्य लाभ को शून्य कर लेती है; तब ऐसी कंपनियों पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता है जिसे MAT कहा जाता है। वर्तमान में इसकी दर 15 प्रतिशत है।
 - CGT (पूँजीगत लाभ कर)**
 - जब किसी परिसंपत्ति को बेचा जाता है तब अर्जित लाभ पर यह कर लगाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है—
 - अल्पकालिक पूँजीगत लाभ कर —**
 - ✓ जब परिसंपत्ति को 2 साल से पहले बेचा गया हो
 - ✓ इसकी दर 20 प्रतिशत है।
 - दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर —**
 - ✓ जब परिसंपत्ति को 2 साल के बाद बेचा गया हो
 - ✓ इसकी दर 12.5 प्रतिशत होती है।
 - शेयर बाजार के लिए **Short term** व **Long term** निर्धारण करने हेतु समय सीमा 1 वर्ष है।
 - प्रतिभूति लेन-देन कर —** यह कर वित्त बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री पर लगाया जाता है।
 - वस्तु लेन-देन कर —** जब वस्तु बाजार में किसी वस्तु या उसके डेरिवेटिव की खरीद व बिक्री की जाती है तब यह कर लगाया जाता है।
वे कर जो समाप्त किए जा चुके हैं —

कर	समाप्ति का वर्ष
लाभांश वितरण कर	2020
Wealth Tax	2015
फ्रिंज बेनिफिट कर	2009
Banking Cash Transaction Tax	2009
Gift Tax	1998
Estate Duty	1985

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर

- कृषि आय पर कर — राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं।
- पेशेवर कर —
 - यह कर राज्य में काम करने वाले पेशेवरों (विशेषज्ञों) पर लगाया जाता है।
 - अधिकतम 2500 रु. वार्षिक लगाया जा सकता है।
 - राजस्थान में यह कर नहीं लगाया जाता है।
- सम्पत्ति कर —** यह कर शहरी क्षेत्र में संपत्ति लगाया जाता है।
- स्टाम्प ड्यूटी —** यह कर सम्पत्ति की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है।
- भू-राजस्व —** यह भूमि पर चुकाया गया किराया है।